

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) केम्प साइडी

- आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दूसरती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी साइडी
व भूअनि. चोकडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार — की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साइडी तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 24 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	साइडी	24	उदयराम कलास	उदयराम जायसवाल

रेलमगरा
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक-201
प्रतिदिशि :-

दिनांक :- 4 OCT 2025

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री उदयराम जायसवाल नि-साइडी को सूचनाथ।
3. संज्ञित पत्रवाचनी।

रेलमगरा
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा